न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—01 / 2020 (2020 / 00088) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लछमण पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—दियाराम पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मन्दरूप पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—ऐजी बेवा बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—भागीरथ पिता उदा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 09.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 104 रकबा 5 बिस्वा गे.मु. चाह साबिक जमाबन्दी में अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 104 रकबा 5 बिस्वा भूमि के चारो तरफ प्रार्थीगण ने पत्थर की दीवार बना रखी है जो करीब 40 वर्ष से चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी बिलानाम आराजी संख्या 75 किस्म रास्ता से लगती हुई है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी में बने हुए कुएं की मुण्डेर रास्ते की सीमा से करीब 10—12 फीट दुर है। मौके पर प्रार्थीगण साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम थोरिखाखेडा में भी भुप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थीगण की साबिक आराजी 104 के नवीन नम्बर 154 रकबा 0.05 हैक्ट. गै.मु. आचा दर्ज किए गए तथा विपक्षी की आ.सं. 75 के नवीन नम्बर 115 रकबा 0.79 हेक्ट किस्म गै.मु, रास्ता कायम किए गए। प्रमाण में नवीन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। भुप्रबंध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण की साबिक आराजी के नवीन नम्बर एवं रकबा तो जमाबंदी में सही अंकित किया गया परंतु नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 154 का रकबा कम करते हुए उसमें खुदे हुए कुए की मुण्डेर को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थीगण के कुए की मुण्डेर एवं फैरे को विपक्षी की आ.सं. 115 की सीमा के लगता हुआ दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के कुए एवं विपक्षी की आ[illegible]मीन छुटी हुई होकर उस पर प्रार्थीगण की पत्थर की दीवार बनी हुई है। भुप्रबंध [illegible] उक्त कृत्य से मौके पर विवाद बना हुआ है तथा गांव वालो द्वारा रास्ते की [illegible] की शिकायत करने पर विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की [illegible] का प्रय[illegible]या जा रहा हैं। भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं [illegible] किसी विधिक आदेश[illegible]र्थीगण की नवीन आराजी के नक्शे में फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं हैं जिससे प्रार्थीगण की नवीन आ. सं. 154 रकबा 0.05 हैक्ट को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम थोरियाखेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 154 रकबा 0.05 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 1 की ओर से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम थोरियाखेड़ा की हाल आराजी संख्या 154 रकबा 0.05 है0 गै.मु.आचा प्रार्थीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 154 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 115 रकबा 0.79 है0 गै.मु. रास्ता बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 154 की कब्जे की स्थिति अनुसार आराजी संख्या 115 में बढ़ा हुआ है जो एक तरफ 11 मीटर चौड़ाई में व एक तरफ 9 मीटर चौड़ाई 6 मीटर चौड़ाई में जो आराजी संख्या 154 के सहारे सहारे 58 मीटर लम्बाई में आराजी संख्या 115 में आता है जिसका रकबा करीब 0.05 है बनता है जो खसरा नम्बर 115 में आ रहा है। दुसरी तरफ दक्षिण दिशा में प्रार्थीगणो के खातेदारी आराजी संख्या 203 व 155 के साथ आराजी संख्या 154 की सीमाएं मिली हुई है। खसरा नम्बर 115 में पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर कब्जा कर रखा है। आराजी संख्या 154 व 115 में बढ़े हुए कब्जे काश्त को नक्शा ट्रेस पर लाल स्याही से आच्छादित कर रखा है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के साबिक नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 104 जो चाह के रूप में दर्ज है कुएं के मध्य से 4 गट्टा दुरी पर उत्तरी सीमा निर्धारित कर रखी है वर्तमान नक्शे मे भी जमाबन्दी के अनुसार रकबा सही दर्ज है किन्तु नक्शे की जो आकृति में नवीन आराजी संख्या 154 के कुएं के पास उत्तरी सीमा कुछ अन्दर की ओर बढ़ा दिया गया है वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा विपक्षी की आराजी संख्या 115 में कब्जा साबिक नक्शे में अकिंत दुरी से भी अधिक दुरी तक आता है जो अतिक्रमण के रूप में है जिसको हटाया जाना भी आवश्यक है साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे मे कुए के मध्य से 10 मीटर की दुरी तक उत्तरी सीमा निर्धारित करते हुए दुरस्त की जाना उचित है। ऐसी स्थित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 154 रकबा 0.05 है0 भूमि दर्शा रखी है उसको साबिक नक्शे के अनुरूप कुएं के मध्य से 10 मीटर की दुरी तक रकबे को मध्यनजर रखते हुए उत्तरी सीमा निर्धारित की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—01 / 2020 (2020 / 00088) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लछमण पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—दियाराम पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मन्दरूप पिता बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—ऐजी बेवा बगतावर गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—भागीरथ पिता उदा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 154 रकबा 0.05 है0 भूमि दर्शा रखी है उसको साबिक नक्शे के अनुरूप कुएं के मध्य से 10 मीटर की दुरी तक रकबे को मध्यनजर रखते हुए उत्तरी सीमा निर्धारित की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

9.2.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested